राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.डण्डाली)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख़्या :–29 / 2018

वादी	**बनाम** प्रतिवादीगण
सरपंच ज़रिये ग्राम पंचायत डण्डाली तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–21.5.2018

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी द्वारा एक राजस्व वाद इस आशंय का प्रस्तुत किया गया,कि ग्राम बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 104 रकबा 5–00 बीधा किस्म गै.मु.श्मसान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जबकि उक्त भूमि की वक्त सेनटलमेन्ट के समय किस्म गै.मु.रासता में दर्ज हुई थी। और मौके पर भी उक्त भूमि का आमजन रासता के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। लेकिन चौसाला जमाबंदी बनाते समय ततकालीन हल्का पटवारी की भूल से उक्त भूमि की किस्म गै. मु.रास्ता के स्थान पर गै.मु.श्मसान गलत दर्ज हो। जो गलत होने के कारण गै.मु. श्मसान के स्थान पर गै.मु.रास्ता दर्ज करवानें की इस्तादुआ चाही गई है।

सहायक कलक्टर
सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। और वादग्रस्त भूमि के संबध में तथ्यात्मक जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.तहसीलदार सिणधरी ने अपनी जांच रिर्पोर्ट में अंकित किया गया कि ग्राम बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 104 रकबा 5 बीधा किस्म गै.मु.श्मसान राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। खसरा संख्या 104 रकबा 5–00 बीधा की प्रथम जमांबदी एवं उनके बाद की जमाबंदी सवंत 2018 से 2021 व नक्शा लटढा ट्रेस एवं मौके की जांच में पाया कि उक्त भूमि जमाबंदी सवंत 2018 से 2021 के इन्द्राज अनुसार गै.मु.रास्ता दर्ज है और मौके पर भी सलंग्न नक्शा अनुसार गैर मुमकिन श्मसान की जगह गैर मुमकिन रास्ता है। और रिकार्ड में गैर मुमकिन श्मसान के स्थान पर गैर मुमकिन रासता दर्ज करने की अनुशंसा तहसीलदार सिणधरी द्वारा की गई है। एवं मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर गैर मुमकिन श्मसान की प्रविष्टि अंकित हो गई थी। यह भी बात सामनें आई कि मौके पर रास्ता के रूप में उपयोग हो रहा है। समग्र जांच एवं विवेचन से स्पष्ट साबित है,कि भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर गै.मु.श्मसान गलती से दर्ज हुई है। जिसे तहसीलदार सिणधरी ने अपनी जांच रिर्पोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है,कि किस्म गैर मुमकिन श्मसान के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता दुरूस्त किये जानें की अनुशंसा की गई है।

3. लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए तंहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाकर **ग्राम बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 104 रकबा 5–00 बीधा किस्म गै.मु.श्मसान के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तंहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदुनसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-5-18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

(सहायक कलक्टर, सिणधरी — seal)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र डण्डाली

पीठासीन अधिकारी:—...श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

अनवान

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

सरपंच जरिये ग्राम पंचायत डण्डाली

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:—88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :—29/2018

निर्णय दिनांक :—21.5.2018

वादी की ओर से स्वंय वादी उपस्थिति.की व प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार सिणधरी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 21.5.2018 को. श्री अंजुम ताहिर सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, **आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है** कि:—वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाकर **ग्राम बावड़ी खुर्द तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 104 रकबा 5—00 बीधा किस्म गै.मु.श्मसान के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आज तारीख.21-5-18........ .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner